

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE





दिनांक: October, 2023





सेवा में.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ। (fcforest@hry.nic.in)

विषय: Diversion of 0.023 ha of forest land for construction of approach road for Sawan Kirpal Ruhani Mission on Delhi-Ambala road NH-44, Km 195-196 R/side, at Village Kuldeep Nagar, Tehsil & District Ambala, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/141822/2021)

संदर्भ: State Government's Compliance Letter No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन- 10301/1494 dated 06.09.2023 received on 11.09.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

- 2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.023 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए सैद्वांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।
- (A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:
 - i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 0.023 हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।
- v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एंनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है| अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|
- vi. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा |

- (B) वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:
 - i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा |
- iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि Kheragani Sec 4 & 5, Naraingarh Range में 100 पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |
- v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- vi. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- vii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमित प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमित भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अविध प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अविध या परियोजना की अविध, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- viii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
 - ix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतिरत नहीं किया जायेगा |
 - x. केंद्रीय सरकार की अनुमित के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
 - xi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |
- xii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है |
- xiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमित प्राप्त करेगी|
- xiv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- **xv.** यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्तवन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय *हस्ता*/-**(राजा राम सिंह)** उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) MoEF&CC, RO, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

- 1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(<u>ramesh.pandey@nic.in</u>)
- 2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
- 3. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Ambala, Haryana. (dfo.amb-hry@nic.in)
- 4. Sh. Jasbir Singh, Secretary, Sawan Kirpal Ruhani Mission, Kuldeep Nagar, Ambala, Haryana. (skrmissjonamb@gmail.com)